विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 2010

सा.का.नि. 89.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति दिनांक 8 जून, 2005 के सा.का.नि. संख्या 377 (ई) के माध्यम से दिनांक 8 जून, 2005 के भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 3(i) में प्रकाशित विद्युत मंत्रालय निदेशक (प्रचालन निगरानी) भर्ती नियमावली, 2005 को और संशोधित करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को विद्युत मंत्रालय निदेशक (प्रचालन निगरानी) भर्ती संशोधन नियम 2010 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे संबद्ध वेतनमान इन नियमों से संबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) यथा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

3. अर्हताएं भर्ती की प्रक्रिया, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि .—उक्त पद से संबंधित भर्ती की प्रक्रिया, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

4. अयोग्यताएँ.—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पत्नी या पति के रहते दूसरा विवाह किया है या करने का अनुबंध किया है ।

(ख) जिसने पत्नी या पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा करने का अनुबंध किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि यदि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू होने वाली व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह इस नियम से व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है ।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना अनिवार्य अथवा उचित है तो वह आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट प्रदान कर सकती है ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य अपेक्षित छूट पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड वेतन	क्या चयन अथवा गैर चयन पद है	आयु-सीमा (सीधी भर्ती के लिए)	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य है ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक (प्रचालन निगरानी)	1* (2010) *कार्यभार के परिवर्तन के अधीन (2010)	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क' राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	37,400-67,000 रुपये 8700 रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	सशस्त्र बल के पुनर्नियुक्त कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की प्रक्रिया : क्या यह भर्ती सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाएगी और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ले गए पदों का प्रतिशत क्या है ।	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिसमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)	**प्रतिनियुक्ति–केंद्र सरकार के अधीन वे अधिकारी जो,** (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हों । (ii) 15600-39100 रुपये (पीबी-3) तथा 7600 रुपये के ग्रेड पे अथवा मूल संवर्ग/विभाग के समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियमित के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव रखते हों : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उसके समकक्ष से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि; और (ii) विद्युत ग्रिड प्रणालियों की निगरानी में दस वर्षों का अनुभव । अपेक्षित योग्यताएं– (i) विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; (ii) थर्मल विद्युत स्टेशनों के प्रबंधन में अनुभव । सशस्त्र बल कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन-सेवानिवृत्त होने वाले कर्नल अथवा उसके समतुल्य रैंक के सशस्त्र बल कार्मिक अथवा एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित किए जाने हेतु स्थानांतरित किए जाने वाले तथा अपेक्षित अनुभव एवं निर्धारित अर्हताओं वाले सशस्त्र बल के कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा । इन व्यक्तियों को सशस्त्र बल से छोड़े जाने की तारीख से प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रदान की जाएगी, जिसके बाद से वे पुनर्नियोजन पर बने रहेंगे । (केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से पूर्व तत्काल धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है जब अन्य के साथ-साथ सशस्त्र बल कार्मिक प्रतिनियुक्ति/पुन: रोजगार हेतु और इन भर्ती नियमों के किसी प्रावधान में संशोधन/छूट देने हेतु चयन किए जाने की स्थिति में हों ।

[फा. सं. 9/2/2010-प्रशा. II]

मधुकर सूद, अवर सचिव